भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *122
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे से संबंधित योजना

***122. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अवसंरचना से संबंधित किसी योजना का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार संपर्क में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 दिनांक 09/12/2025

"वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे से संबंधित योजना" के संबंध में दिनांक 09.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (घ): (i) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" का अनुमोदन किया गया। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। नक्सलवाद के समाधान हेतु सरकार ने उसके मुख्य कारण के निदान के लिए आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति तथा बुनियादी ढांचे में निवेश से निजी निवेश में वृद्धि सहित उन्नत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

(ii) सुरक्षा उपायों में, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन प्रदान करके और भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति देकर, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविरों के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि करके सहायता प्रदान करती है।

- 2014-15 से, राज्यों की क्षमता निर्माण हेतु, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बलों के परिचालन व्यय एवं राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए नागरिकों/ शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए 3523.48 करोड़ रुपये जारी किए गए है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 दिनांक 09/12/2025

- को सुदृढ़ बनाने और विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अंतर्गत फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण हेतु 1757 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत संपूरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों का निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह को रोकने और सीपीआई (माओवादी) तथा इसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए निधियों और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की जा रही है।
- सुरक्षा संबंधी अवसंचरना पर भारत सरकार का अत्यधिक ध्यान रहा है। पिछले दशक में 656 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। पिछले छह वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 377 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा शिविरों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(iii) विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैं:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित दो विशिष्ट योजनाओं, अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 14,978 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 दिनांक 09/12/2025

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 9,050 टावर स्थापित किए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) संचालित किए गए है।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं।
- विकास को और गति देने के लिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (एससीए) योजना के तहत सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए धनराशि प्रदान की जाती हैं। 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3,848.49 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(iv) "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015" के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक नियंत्रित हुआ है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, अप्रैल 2025 में 18 तथा अकतूबर 2025 में घटकर 11 हो गई है, जिसमें अब केवल 3 जिले ही सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं। हालांकि, हाल ही में वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त किए गए क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) को पुन: स्थापित होने से रोकने के लिए, 27 जिलों को एसआरई के दायरे में 'लेगसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट' के रूप में रखा गया है।

(v) वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं वर्ष 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 89% घटकर वर्ष 2025 में 218 हो गई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु भी वर्ष 2010 में 1005 के उच्च स्तर

से 91% घटकर वर्ष 2025 में 93 हो गई है। वर्ष 2025 (दिनांक 01 दिसंबर तक) में, सुरक्षा बलों ने 335 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है, 942 वामपंथी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और 2167 ने आत्मसमर्पण किया है। परिचालन उपलब्धियों का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 दिनांक 09/12/2025

अनुलग्नक- I

वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा शिविरों का ब्यौरा

वर्ष	**सुरक्षा शिविरों की संख्या**
2019	24
2020	40
2021	51
2022	66
2023	51
2024	71
2025	74
कुल	**377**

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 दिनांक 09/12/2025

अनुलग्नक- II

वामपंथी उग्रवाद रोधी ऑपरेशनों में उपलब्धियां

वर्ष	**मारे गए वामपंथी उग्रवादी**	**गिरफ्तार किए गए वामपंथी उग्रवादी**	**आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी**
2019	145	1276	440
2020	103	1110	475
2021	126	1153	736
2022	57	816	496
2023	50	924	376
2024	290	1090	881
2025	335	942	2167
कुल	**1106**	**7311**	**5571**

****